उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

क्रमांक B/8693 /चार–12–5/2023 जबलपुर, दिनांक 29/11/2023

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(म.प्र. राज्य के.....समस्त)

विषयः– मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं(वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 में संशोधित अधिसूचना।

––00––

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषय के संबंध में आपकी ओर मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना फा. क्रमांक 4973/21–ब(एक)2023 दिनांक 06/10/2023 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

29.11.23
(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)

पृ0 क्रमांक B/8694 /चार–12–5/2023 जबलपुर, दिनांक 29/11/2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,(म.प्र. राज्य के.....समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र.खण्डपीठ,इन्दौर/ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. संचालक,म0प्र0 राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(जे.) लेखा,/अनुभाग इंचार्ज(पेंशन)/सहायक सेवा पुस्तिका (राजपत्रित)/सहायक(पेंशन)/सहायक (गोपनीय अनुभाग)/सहायक (शिकायत अनुभाग)/ सहायक (बजट अनुभाग), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर ***सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।***

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

29.11.23
रजिस्ट्रार(एम)

डेमन

मध्यप्रदेश शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग,
मंत्रालय भोपाल,

भोपाल, दिनांक 06/10/2023

अधिसूचना

फा.क्रमांक 4973/21–ब(एक)/2023, यतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.(सी) 643/2015, ऑल इण्डिया जजेस एसोसिएशन विरूद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य, दिनांक 19.05.2023 में दिए गए निर्देशों के पालन में तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. **नियम 10 के उप–नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित नवीन उप–नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:–**

"(1क) पेंशन के बकाया का भुगतानः–

पेंशन के बकाया की गणना 01.01.2016 से की जाएगी और पूर्व में अंतरिम राहत के किए गए भुगतान को समायोजित करने के पश्चात् शेष रकम निम्नलिखित रीति से चरणों में दी जाएगीः–

(1) पेंशन की पुनरीक्षित दरों जिनका कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमोदन किया है दिनांक 01.07.2023 से देय होगी।

(2) 25 प्रतिशत राशि का संदाय दिनांक 31.08.2023 तक देय होगा।

(3) अगली 25 प्रतिशत राशि का संदाय दिनांक 31.10.2023 तक देय होगा।

(4) शेष 50 प्रतिशत राशि का संदाय दिनांक 31.12.2023 तक देय होगा।

स्पष्टीकरणः– इस नियम के प्रयोजनों हेतु न्यायिक सेवा के किसी पेंशनर/परिवार पेंशनर के संबंध में पेंशन के बकाया से अभिप्रेत है, निम्नलिखित के बीच का अन्तर :–

(एक) पेंशन और महंगाई राहत का योग जो उसे इन नियमों के अधीन पेंशन और महंगाई राहत में पुनरीक्षण के कारण देय हो।

(दो) विद्यमान परिलब्धियां जिसका कि वह पात्र होता यदि उसकी पेंशन तथा महंगाई राहत इस प्रकार से पुनरीक्षित न किए जाते।"।

2. नियम 11 में,–

(क) उप–नियम (1) में,–

(एक) खण्ड (दो) में परन्तुक में तीसरी पंक्ति, में शब्द "के लिए तथा" शब्द "दस" के पूर्व शब्द "अधिकतम" जोड़ा जाए;

(दो) खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित नवीन खण्ड जोड़ा जावेः–

"(तीनक)सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति के दिनांक के पश्चात् जिस दिनांक को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होती है, वह वेतन वृद्धि सेवानिवृत्ति के समय काल्पनिक (नोशनल) रूप से जोड़कर अंतिम वेतन निर्धारित कर पेंशन निर्धारित की जाएगी।"।

(चार) खण्ड (दस) में, शब्द "लाख रूपये होगी" के पश्चात् व्याक्यांश "इसमें जब भी मंहगाई भत्ता (जैसा कि उप–नियम (3) में विहित है) पचास प्रतिशत से अधिक होता है पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी", जोड़ा जाए।

(ख) उप–नियम (2) में,–

(एक) खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए,–

"(एक) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के उन सेवानिवृत्त सदस्य की पुनरीक्षित पेंशन, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि उसने समय–समय पर यथा पुनरीक्षित अर्हकारी सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं, उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान की न्यूनतम 50 प्रतिशत होगी:

परन्तु ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व मृत्यु या सेवानिवृत्ति के कारण सेवा में नहीं रहे है उनकी पेंशन, पेंशन पुनरीक्षिण के लिए वर्तमान मूल पेंशन में 2.81 गुणा बढाकर पुनरीक्षित की जाएगी, जो कि उसकी सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(दो) खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए,–

"(दो) उन पारिवारिक पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि उसने समय–समय पर यथा पुनरीक्षित अर्हकारी सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं, सेवानिवृत्ति के समय न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान की न्यूनतम 30 प्रतिशत होगी:

परन्तु ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व मृत्यु या सेवानिवृत्ति के कारण सेवा में नहीं रहे है उनकी पारिवारिक पेंशन, पेंशन पुनरीक्षण के लिए वर्तमान मूल पेंशन में 2.81 गुणा बढाकर पुनरीक्षित की जाएगी, जो कि उसकी सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के वेतन के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(ग) उप–नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप–नियम जोडा जाए,–

"(4) केन्द्रीय सरकार के पेंशन नियम 54 (3) यथा संशोधित दिनांक 19.09.2021 का लाभ परिवार पेंशनरों को भी प्राप्त होगा।"।

(घ) उप–नियम (3) के पश्चात् टिप्पणी का लोप किया जाए।

2. अनुसूची में भाग तीन के पश्चात् निम्नलिखित भाग जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"भाग–चार
(नियम 11 उप–नियम (2))

(फिटमेन्ट)

अनु.क्रमांक	एफ.एन.जे.पी.सी. के अनुसार वेतन	विद्यमान वेतन	नया प्रस्तावित वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	9000	27700	77840
2	9250	28470	80180
3	9500	29240	82590
4	9750	30010	85070
5	10000	30780	87620
6	10250	31550	90250
7	10500	32320	92960
8	10750	33090	95750
9	11050	34010	95750
10	11350	34930	98620
11	11650	35850	101580
12	11950	36770	104630
13	12250	37690	107770
14	12500	38610	111000
15	12800	39530	114330
16	13150	40450	114330
17	13500	41530	117760
18	13850	42610	121290
19	14200	43690	124930
20	14550	44770	128680
21	14900	45850	132540
22	15250	46930	132540
23	15600	48010	136520
24	15950	49090	140620
25	16350	50320	144840
26	16750	51550	149190
27	17150	52780	149190
28	17550	54010	153670
29	17950	55240	158280
30	18350	56470	163030
31	18750	57700	163030
32	19150	58930	167920
33	19600	60310	172960

(1)	(2)	(3)	(4)
34	20050	61690	178150
35	20500	63070	178150
36	20950	64450	183490
37	21400	65830	188990
38	21850	67210	188990
39	22350	68750	194660
40	22850	70290	199100
41	23350	71830	205070
42	23850	73370	211220
43	24350	74910	217560
44	24850	76450	224100"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(बी.के.द्विवेदी)
प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

Government of Madhya Pradesh
Law and Legislative Affairs Department,
Secretraite, Bhopal

Bhopal, Date 06/10/2023

NOTIFICATION

F.NO 4973/XXI-B(One)/2023 – Whereas, in compliance of directions made by Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 643/15, All India Judges Association Vs. Union of India and Others, order dated 19-05-2023 and in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Judicial Services (Revision of Pay, Pension and Other Recruitment Benefits) Rules, 2022, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. After sub-rule (1) of rule 10 following sub-rule shall be added, namely:-

"(1A) Payment of Pension Arrears:-

Commutation of Pension Arrears shall be done from 01.01.2016 and after adjusting interim relief paid earlier, remaining amount shall be given in following steps:-

(1) Revised rates of Pension which have been approved by Honorable Supreme Court shall be paid from 01.07.2023.

(2) 25% of the amount shall be paid by 31.08.2023.

(3) 25% of the amount shall be paid by 31.10.2023.

(4) Remaining 50% of the amount shall be paid by 31.012.2023.

Explation:- For the purpose of this rule pension arrears for any pensioner/family pensioner means difference of.-

(i) sum total of pension and dearness relief which is to be paid to him under these rules due to revision of pension and dearness relief;

(ii) existing emoluments for which he would have been entitled if his pension and dearness relief were not revised.

2. In rule 11,-

(a) in sub-rule (1),-

(i) in clause (ii), in proviso, in line 3, after word "benefits" and before the word "ten", the word "maximum" shall be added;

(ii) after clause (iii) following new clause shall be added;

"(iiia) after the date of retirement of retiring Judge, the date, on which the annual increment becomes due, by adding that increment notionally at the time of retirement by the fixing the last pay the pension shall be fixed.

(iv) in clause (x), after word "lakh" the phrase "which shall be increased by twenty five percent whenever DA [as provided in sub-rule (3)] rises by fifty percent" shall be added;

(b) in sub-rule (2),-

(i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

(i) The revised pension of the retried Judicial Officers shall be 50% of the minimum of the revised pay of the post held by the Judicial Officer at the time of retirement, irrespective of the fact whether he has completed qualifying service or not, as revised from time to time :

Provided that the Judicial Officers who have ceased to be in service due to death or retirement befor 01.01.2016 their Pension shall be revised by raising the same by 2.81 times which shall not be less than 50% of the revised pay of revised pay scale equivalent to the last pay drawn at the time of his retirement.

(ii) for clause (ii) following clause shall be substituted, namely:-

(ii) The revised pension of the family pensioners shall be 30% of the minimum of the revised pay of the post held by the Judicial Officer at the time of retirement, irrespective of the fact whether he has completed qualifying service or not, as revised from time to time:

Provided that the Judicial Officers who have ceased to be in service due to death or retirement befor 01.01.2016 their Family Pension shall be revised by 2.81 times raising the same by which shall not be less than 30% of the revised pay of revised pay scale equivalent to the last pay drawn at the time of his retirement.

(c) after sub-rule (3) following sub-rule shall be added.

"(4) benefits of Central Government Pension rules 54(3) dated 19.09.2021 (as amended) shall also be available to family pensioners.".

(d) after sub-rule (3), note shall be omitted.

2. In the Schedule, after Part-III, the following Part shall be added, namely :-

"Part-IV

[see rule 11, sub-rule (2)]

(Fitment)

S.No.	Pay as per FNJPC	Existing Pay	New Proposed Pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1	9000	27700	77840
2	9250	28470	80180
3	9500	29240	82590
4	9750	30010	85070
5	10000	30780	87620
6	10250	31550	90250
7	10500	32320	92960
8	10750	33090	95750
9	11050	34010	95750
10	11350	34930	98620
11	11650	35850	101580
12	11950	36770	104630
13	12250	37690	107770
14	12500	38610	111000
15	12800	39530	114330
16	13150	40450	114330
17	13500	41530	117760
18	13850	42610	121290
19	14200	43690	124930
20	14550	44770	128680
21	14900	45850	132540
22	15250	46930	132540
23	15600	48010	136520
24	15950	49090	140620
25	16350	50320	144840
26	16750	51550	149190
27	17150	52780	149190
28	17550	54010	153670
29	17950	55240	158280
30	18350	56470	163030
31	18750	57700	163030
32	19150	58930	167920
33	19600	60310	172960
34	20050	61690	178150

(1)	(2)	(3)	(4)
35	20500	63070	178150
36	20950	64450	183490
37	21400	65830	188990
38	21850	67210	188990
39	22350	68750	194660
40	22850	70290	199100
41	23350	71830	205070
42	23850	73370	211220
43	24350	74910	217560
44	24850	76450	224100"

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

(**B.K.Dwivedi**)
Principal Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Law and Legislative Affairs,
Bhopal, Date 06/10/2023

Encl 4973/21-B(One)/2023

1. Registrar General, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information and necessary action.
2. Dy. Controlloer, Govt Press, Bhopal for publication in the next edition of M.P.Gazatte.
3. Dy. Secretary, Office of the Chief Secretary with compliance order of cabinet for information.

(**Umesh Pandav**)
Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Law and Legislative Affairs,

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
13 OCT
Reg No. 47534